भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2156

09.12.2024 को उत्तर के लिए

सी-प्लेन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

2156. श्री के. सुधाकरन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केरल राज्य में आरंभ की गई सी-प्लेन परियोजना से अवगत है;

(ख) क्या सरकार ने कोवलम, कुमारकोम, बाणासुर सागर और मट्टुपेट्टी के आस-पास जलाशयों में सी-प्लेन के प्रचालन के लिए कोई मंजूरी प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क स्कीम- उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत उपलब्ध जलाशयों की सूची में शामिल करने के लिए 14 स्थानों का प्रस्ताव किया है, जिसमें कोवलम, कुमारकोम, बाणासुर सागर बांध, मुन्नार (मट्टुपेट्टी बांध/चांगुलम बांध) शामिल हैं। 'सीप्लेन संचालन के लिए दिशा-निर्देशों' के अनुसार, राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन/जल हवाई अड्डों के मालिकों/पत्तन प्राधिकरणों/समुद्री विभाग (जैसा लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के साथ-साथ निर्दिष्ट जल हवाई अड्डे से संचालन के लिए सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी। इस राज्य में सीप्लेन सेवाओं के संचालन के लिए अभी तक किसी भी जल हवाई अड्डे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को केरल में कोवलम, कुमारकोम, बाणासुर सागर और मट्टुपेट्टी के आसपास के जलाशयों में सी प्लेन के संचालन के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और यथासंशोधित के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****